[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 36/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर,2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 676(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रैप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई प्राधिकृत व्यक्ति”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग.III)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार